

251-21
U.M.D.


मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 25/01/2021

क्र. एफ 16-39/2019/ए-ग्यारह:राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स जेड. एफ. स्टेयरिंग गेयर (इंडिया) लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर जिला धार में लगभग रु. 127.31 करोड के स्थाई पूंजी निवेश से स्टेयरिंग गेयर पार्ट एवं ऑटो कम्पोनेंट निर्माण की इकाई स्थापना संबंधी प्रस्ताव को निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये:-

1. विद्युत टैरिफ में रियायत- कम्पनी द्वारा दिनांक 21.01.2020 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है। अतः परियोजना को आदेश जारी होने के दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत टैरिफ में रुपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ में दी गई छूट, अगर कोई हो, के अतिरिक्त होगी। विद्युत वितरण कंपनी के स्तर से कोई छूट देय नहीं होगी। निर्धारित टैरिफ में उक्त छूट की राशि की गणना कर एमपीआईडीसी द्वारा मेसर्स जेड. एफ. स्टेयरिंग गेयर (इंडिया) लि. को प्रतिपूर्ति किया जाये।
2. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
3. परियोजना को स्वीकृत विशेष सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में प्रस्ताव अनुसार प्रतिबद्ध निवेश कर लिया जाये।
4. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
भोपाल, दिनांक 25/01/2021

पृ.क्र. एफ 16-39/2019/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
6. कलेक्टर, जिला धार।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स जेड. एफ. स्टेयरिंग गेयर (इंडिया) लि. गेट न. 1242/44, ग्राम वेदु बीके., तहसील शीरूर, जिला-पुणे - 412216।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग